

अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं० 02, बून्दी
दीवानी इजराय संख्या 56/2020
उम्मेद सिंह बनाम रंगलाल वगै०

04.04.2026

अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। कार्यालय तहसीलदार हिण्डोली से इस आशय की रिपोर्ट मय डी.डी. पेश की गई कि प्रस्तुत मामले में निर्णित ऋणी नन्दलाल द्वारा भी उसके विरुद्ध लंबित इजराय प्रार्थना पत्र 56/20 व 57/20 में वसूली योग्य राशि कुल 1 लाख 60 हजार रुपये संकलित डी.डी. पेश कर दिया गया है अतः मूल वारंट से नन्दलाल व रंगलाल का नाम हटाये जाने के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई है। चूंकि नन्दलाल व रंगलाल द्वारा अपने हिस्से की वसूली योग्य राशि के संबंध में डी.डी. पेश कर दिया गया है अतः रंगलाल व नन्दलाल का नाम वसूली वारंट से हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

शेष निर्णित ऋणी मय अधिवक्ता श्री अशोक वशिष्ठ उपस्थित आये। जिन्होंने जाहिर किया कि वे अदायगी करने हेतु तैयार हैं। एक अवसर चाहा। डिक्रीदार की सहमति पर एक अवसर प्रदान किया गया। पत्रावली वास्ते अदायगी राशि शेष निर्णित ऋणी दिनांक 09.04.2026 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)